बैस शिक्षा प्रसार समिति, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम :– बैस शिक्षा प्रसार समिति, ~~[illegible]~~ महेन्द्र प्रताप सिंह राणा

2– संस्था का पूरा पता :– एम0एम0आई0जी0, बी –48, रामगंगा विहार प्रथम, पुलिस चौकी वाली लेन, मुरादाबाद, उ0प्र0

3 संस्था का कार्य क्षेत्र :– समस्त उत्तर प्रदेश

4 संस्था के उद्देश्य :– स्मृति पत्र के अनुसार होंगे ।

5 संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

क– सदस्यता :

संस्था का सदस्य केवल वही सज्जन बन सकता है जो सद आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो तथा संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो संस्था का सदस्य बन सकता है। किन्तु मत देने का अधिकार उन सदस्यों को ही होगा जो मत देने की तिथि से पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे ।

ख– सदस्यों के वर्ग :

अ– आजीवन सदस्य :

जो सज्जन क्रमांक 5(क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 1000.00 रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य होगा ।

ब– सामान्य सदस्य :

जो सज्जन 5(क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 300.00 रू0 नकद नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य होगा ।

1 महेन्द्र प्रताप सिंह राणा
2. Mayank
3. Shefali
4. Kamna Singh
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible] Kumari
8. [illegible]
9.
10. [illegible]
11. पीयूष लता
12. Renu
13. [illegible]
14. Nadish Kumar

महेन्द्र प्रताप सिंह राणा
अध्यक्ष
बैस शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

Mayank

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

स- मनोनीत सदस्य : जो सज्जन किसी क्षेत्र जैसे साहित्यिक, सामाजिक, कलात्मक आदि में प्रख्याति [redacted] समिति आवश्यकता महसूस करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सज्जन को अपने बहुमत के आधार पर मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्य कर सकेगी, इनको मताधिकार का प्रयोग नहीं होगा ।

6- सदस्यता की समाप्ति :–

अ- सदस्य की मृत्यु होने पर ।

ब- सदस्य द्वारा दिये गये त्याग पत्र की स्वीकृति होने पर ।

स- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर ।

द- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर ।

य- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर ।

7- संस्था के अंग :–

क- साधारण सभा ।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति ।

8- साधारण सभा :–

क- गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

ख- बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग- सूचना : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। (सूचना लिखित रूप में दी जायेगी)।

घ- कोरम : साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिये कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होना हो।

अध्यक्ष
[illegible] शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० मुरादाबाद

100

ड– विशेष वार्षिक अधिवेशन : संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अ– संस्था के प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना ।

ब– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।

स– संस्था के नियमों, विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।

द– संस्था की नीति निर्धारित करना ।

य– संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।

10– प्रबन्धकारिणी समिति :–

क– गठन : संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा । जिसमें कम से कम ग्यारह होगी। जो आवश्यकता पड़ने पर घट बढ़ सकेगी ।

ख– बैठकें : सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग– सूचना : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी ।

घ– कोरम : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

ड– रिक्त पद की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

च– कार्यकाल : प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

अध्यक्ष
जैन शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

छ प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

(अ) संस्था के नियमों व उपनियमों में संशोधन करना ।

(ब) संस्था के संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(स) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार करना ।

(द) प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।

(य) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल, अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना ।

11– **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

अध्यक्ष :–

अ– संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना ।

ब– सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिये दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी कराना ।

स– समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना ।

द– प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु कार्यवाही करना ।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्य करना ।

प्रबन्धक / सचिव :–

अ– संस्था के संचालन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कदम उठाना।

ब– संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।

स– संस्था के समस्त वाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना ।

अध्यक्ष
जैन शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ तथा चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

द— संस्था के द्वारा संचालित ईकाई, संस्थान, स्कूल आदि के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन वृद्धि, पदोन्नति व पदावनति आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

य— संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान – अनुदान, चन्दा, ऋण, चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना ।

छ— संस्था के हित में कार्य करना ।

उप प्रबन्धक /उपसचिव:— प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में समस्त कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :—

अ— संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना ।

ब— संस्था के आय–व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना ।

स— प्रबन्धक/सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना ।

नियमों – विनियमों में संशोधन प्रकिया :—

संस्था के नियमों – विनियमों में संशोधन प्रकिया प्रबन्ध समिति के गठन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा ।

संस्था का कोष :—

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा, जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

आय – व्यय लेखा परीक्षण :—

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि एक वित्तीय वर्ष का होगा ।

अध्यक्ष
गैस शिक्षा प्रसार समिति
अमर प्रदेश (मुरादाबाद)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

14– कानूनी कार्यवाही:–

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जोकि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

15 विघटन

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

16 अभिलेख:

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक, रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो अध्यक्ष के संरक्षण में रखे जायेंगे।

17– अन्य:–

संस्था में किसी भी प्रकार के विवाद में निर्णायक अध्यक्ष होगा।

20– अन्य:–

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होगा।

(ख) प्रबन्धतंत्र के 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक है (जिसमें प्राचार्य भी है)

(ग) अध्यापक (खण्ड ख) में निदिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य हैं।

(गग) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धो के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे का नातेदार न होंगे।

(ङ) उक्त संविधान में कुल पति की पूर्व अनुज्ञा के विना कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप के चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राकिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्व विद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसायटी, ट्रस्ट बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने [illegible] [illegible] तैयार है।

बढ़ाये गये बिन्दु 20 को सभा ने सुनकर विचार मंथन किया । विचार मंथन के बाद सभा ने समर्थन करते हुए प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया।

1 महेन्द्र प्रताप सिंह
2 SK Rana
3 mayank
4 Karma Singh
5 Rana
6 विमला देवी
7 [illegible]
8 पीयूष [illegible]
9 Renu
10 तारा देवी

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
महेन्द्र प्रताप सिंह
अध्यक्ष
नेत्र शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

महेन्द्र प्रताप सिंह
अध्यक्ष
नेत्र शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

Mayank

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
[illegible]/[illegible]/08

95

स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम : ...स शिक्षा प्रसार समिति, ~~उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद~~। महेन्द्र प्रताप सिंह राणा

2– संस्था का पूरा पता : एम0 एम0आई0जी0, बी–48, रामगंगा विहार प्रथम, पुलिस चौकी वाली लैन, मुरादाबाद।

3– संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।

4– संस्था के उद्देश्य

1– क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

2– छात्र छात्राओं के विकास हेतु तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

3– विद्यार्थियों को सुशील, चरित्र वान व स्वलम्बी बनाने के लिये छात्रावास स्थापित करना। उनकी व्यवस्था करना।

4– छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों व छात्र/छात्राओं के विकास हेतु कम्प्यूटर एवं टाईप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।

5– गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करना तथा उनको शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करना।

6– राष्ट्रीय शिक्षा व चरित्र के विकास के लिए मानवीय गुणों की उन्नयन के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना।

7– नई शिक्षा नीति के आधार पर छात्रों को नई दिशा देने का प्रयास करना।

8– वयस्क तथा महिलाओं को तकनीकि शिक्षा का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान करना एवं महिलाओं को हस्तकला जैसे– सिलाई, कढाई, बुनाई, दरी व कालीन बुनाई, पेन्टिंग आदि प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान करना ।

9– शारीरिक मानसिक एवं विकलांगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान और उन्हें आत्म निर्भर बनाना।

10– संस्था के उद्देश्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अन्तर्गत होंगे। तथा मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्य होगा।

1. महेन्द्र प्रताप सिंह राणा
2. [illegible]
3. S.K. Rana
4. Kusuma Singh
5. [illegible]
6. विमलादेवी
7. Devesh Kumar
8. राजपाल सिंह
9. [illegible]
10. शिवकुमारी सिंह
11. पीयूष लता
12. Renu
13. सारादेवी
14. Nadim Kumar

महेन्द्र प्रताप सिंह राणा
अध्यक्ष
...स शिक्षा प्रसार समिति
उत्तर प्रदेश (मुरादाबाद)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : बैस शिक्षा प्रसार समिति।
2. संस्था का पता : एम0 एम0 आई0 जी0, बी–48, रामगंगा विहार प्रथम, पुलिस चौकी वाली मैन, मुरादाबाद।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उ0 प्र0।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालयो की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
2. छात्र/छात्राओं के विकास हेतु तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
3. विद्यार्थियो को सुशील, चरित्रवान व स्वालम्बी बनाने के लिए छात्रावास स्थापित करना व व्यवस्था करना।
4. छात्र/छात्राओ के अध्ययन हेतु पुस्तकालय वाचनालय की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगार कामगार युवक/युवतियों व छात्र/छात्राओ के विकास हेतु कम्प्यूटर एवं टाईप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करना तथा उनको शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करना।
6. राष्ट्रीय शिक्षा व चरित्र के निर्माण के लिए मानवीय गुणों की उन्नयन के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना।
7. नई शिक्षा नीति के आधार पर छात्रों को नई दिशा देने का प्रयास करना।
8. वयस्क तथा महिलाओं को तकनीकि शिक्षा का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान करना एवं महिलाओं को हस्ताकला जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, दरी व कालीन बुनाई, पेन्टिंग आदि प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान करना।
9. शारीरिक मानसिक एवं विकलांगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान और उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
10. संस्था के उददेश्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अन्तर्गत होगें तथा मुख्य उददेश्य शिक्षण कार्य होगा।
11. संस्था बिना लाभ हानि (Not For Profit)/अलाभकारी के उददेश्य से कार्य करेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद